(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

प्रकरण संख्या : 72/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 06.11.2024

निर्णय दिनांक : 07.01.2025

1. सुधीर कुमार यादव पुत्र लहरीसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम शाहजहांपुर तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान।

..........प्रार्थी

बनाम

1. सरस्वती देवी बेवा उदमीराम
2. राजेश पुत्र उदमीराम
3. रमेश पुत्री उदमीराम
4. कमलेश पत्नी रामखिलाड़ी पुत्रवधु उदमीराम
5. संजू पुत्री रामखिलाड़ी
6. मंजू पुत्री रामखिलाड़ी
7. मंजीत पुत्र रामखिलाड़ी
8. मंजीत पुत्र रामखिलाड़ी
9. अमीलाल पुत्र ओमकार
10. रोशन पुत्र ओमकार

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम मौहलड़िया तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान।

...........अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष विचाराधीन प्रकरण बउनवानी नन्दकौर बनाम उदमीराम वगै0 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी आदेश दिनांक 26.11.2024 को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री सुधीर कुमार शर्मा अधिवक्ता अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री अशोक कुमार सैनी अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय

दिनांक – 07.01.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष प्रकरण उनवानी नन्दकौर बनाम उदमीराम विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पर बहस करना जाहिर किया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री अशोक कुमार सैनी अधिवक्ता उपस्थित हुए।
3. प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त उनवानी प्रकरण नन्दकौर बनाम उदमीराम वगै0 विपक्षीगण द्वारा बाला–बाला योग्य अदालत मातहत में प्रस्तुत किया गया है जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थी द्वारा बिना किसी देरी के पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–1 नियम–10 व्यव.प्र.स. प्रस्तुत किया गया जो विचाराधीन है। प्रकरण में वर्णित विवादित कृषि भूमि में से नन्दकौर पुत्री तेजाराम के हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड बयनामों के नन्दकौर के वारिसान से दिनांक 27–12–2013 एवं 30–12–2013 को खरीद की हुई आराजी है जिसके आधार पर मिन प्रार्थी एवं अन्य खरीददारान रमेश चन्द एवं रामचन्द्र के हक में इन्तकाल संख्या–1103 एवं 1105 दिनाक 09–01–2014 को स्वीकृत होकर दर्ज राजस्व रिकार्ड हो गया था तब से हम खरीददारान रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है। प्रकरण हाजा में गत तारीख पेशी दिनांक 30–09–2024 को योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पीठासीन अधिकारी का तबादला होने के कारण एकजाई आगामी तारीख पेशी दिनाक 29–01–2025 नियत की गई थी जिसे छोटी करवाये जाने के लिये विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 16–10–2024 को प्रस्तुत किये जाने पर योग्य अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा तारीख पेशी 21–10–2024 उसके बाद 24–10–2024 तथा उसके बाद 28–10–2024 तारीख पेशी की गई एवं उक्त तारीख पेशी दिनांक 28–10–2024 को योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र एक दिन की तारीख पेशी दिनाक 30–10–2024 नियत की गई जो पेशी रजिस्टर के

सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

क्रम संख्या–28 पर दर्ज है। उक्त तारीख पेशी दिनांक 30–10–2024 को नियत सभी प्रकरणों में एकजाई आगामी तारीख पेशी दिनांक 25–11–2024 नियत की गई थी लेकिन उक्त अकेले प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने चैम्बर में फाईल मंगाकर दिनांक 04–11–2024 नियत की तथा उक्त तारीख पेशी दिनांक 04–11–2024 को न्यायालयों में एक अधिवक्ता महोदय की माताजी एवं एक अधिवक्ता के भाई का निधन होने के कारण कण्डोलन्स किया जाकर अदालतों में कार्य स्थगित किया गया है जिसके कारण सभी प्रकरणों में रीडर महोदय द्वारा तारीख पेशी नियत की गई है लेकिन पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त अकेले प्रकरण हाजा की पत्रावली विपक्षीगण के अधिवक्ता के आने पर अपने चैम्बर में मंगवाई जाकर दिनांक 06–11–2024 नियत की गई है। उपरोक्त प्रकार से मिन प्रार्थी को यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि योग्य अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी द्वारा विपक्षीगण एवं उनके अधिवक्ता से पूरी तरह से साजबाज हैं तथा प्रकरण में विपक्षीगण को नाजायज फायदा पहुँचाने की नियत से एवं प्रार्थी को क्षति कारित कर विधिक हक हकूकों से वंचित करने की नियत से अपने पद का दुरूपयोग कर कोई भी अविधिक आदेश अथवा निर्णय पारित किया जा सकता है। ऐसी सूरत में प्रार्थी को योग्य अधिनस्थ न्यायालय से प्रकरण हाजा के न्यायपूर्ण निस्तारण की कतई उम्मीद नहीं है। उपरोक्त प्रकरण का योग्य अधिनस्थ न्यायालय से स्थानान्तरित नहीं किया गया तो योग्य अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा विपक्षीगण एव उनके अधिवक्ता के प्रभाव में होने के कारण कोई भी आदेश अथवा निर्णय पारित कर प्रार्थी के विधिक हक हकूकों से प्रार्थी को वंचित किया जा सकता है जिससे प्रार्थी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में धन से किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा तथा प्रार्थी के साथ न्याय नहीं होने से अकारण ही मुकदमेंबाजी को बढ़ावा मिलेगा। अंत में प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण हाजा बउनवानी नन्दकौर बनास उदमीराम वगैरह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–144 सीपीसी आदेश दिनांक 26.11.2024 संपठित धारा–151 व्यव.प्र.स. योग्य अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमराना, जिला कोटपूतली–बहरोड़ (राज.) से अन्य किसी भी दीगर सक्षम न्यायालय में ट्रान्सफर किया जाकर सुनवाई करवाये जाने के कृपा पूर्वक आदेश पारित करें ताकि प्रकरण का वास्तविक तथ्यों पर निर्णय होकर प्रार्थी को न्याय प्राप्त हो सके।

4. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी के द्वारा जानबूझकर प्रकरण में विलम्ब करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो चलने योग्य नही है। प्रार्थी तहत न्यायालय में प्रार्थी द्वारा मात्र पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। अभी तक पक्षकार नही बनने से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नही रखने से प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में जाहिर किया कि उक्त प्रार्थना पत्र केवल कयास के आधार पर बिना किसी प्रावधान के पेश कर दी है। प्रार्थी ने झूठे आरोप लगाये है। अन्त में वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस मे उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।
5. उभय पक्षकारान के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
6. प्रकरण में वकील उभय पक्षकारान को गौर से सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि प्रार्थीगण द्वारा गलत एवं मनगढंत तथ्य अंकित किये है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है एवं ना ही पीठासीन अधिकारी द्वारा अकेले इस प्रकरण में तारीख देने के संबंध में सबूत पेश किया गया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी नीमराना को भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 07.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़